

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या- 62/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. बापूलाल पिता श्री धन्ना गुर्जर जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. भवानी शंकर पिता श्री धन्ना गुर्जर आयु बालिग निवासी रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

.....विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री पराग त्रिपाठी।

दिनांक:- 31.05.2022

-:आदेश:-

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा रेनखेड़ा प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्बत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 148 खसरा संख्या 260/890 रकबा 1.0200 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाशत की हैं जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 260/890 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेव के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के सहखातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या पेरोंकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता ग्राम मौजा रेनखेड़ा प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्बत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 148 खसरा संख्या 260/890 रकबा 1.0200 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्वा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फंसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय के अलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़